मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग
निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल,
58 अरेरा हिल्स, भोपाल– 462 011

अपील कमांक ए–210/रासूआ/30/2006/छतरपुर

श्री देवेंदु पहारिया, अपीलकर्ता
संरक्षक,
जिला रेडकॉस सोसायटी,
छतरपुर (म.प्र.) ।

विरूद्ध

श्री जी.पी.खण्डेलवाल,सचिव लोक सूचना अधिकारी
जिला रेडकॉस सोसायटी,
जिला– छतरपुर (म.प्र.)

(आदेश – 19 सितंबर, 2006)

यह अपील श्री देवेंदु पहारिया, सरंक्षक, इंडियन रेडकास सोसायटी, शाखा छतरपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (3) के अन्तर्गत प्रस्तुत की है । अपीलकर्ता का यह कहना है कि उसने कतिपय बिन्दुओं पर इंडियन रेडकास सोसायटी, शाखा, छतरपुर के सचिव से जानकारी मांगी थी इसमें दिनांक 16 जनवरी, 2006 के आवेदन में वर्णित 5 बिन्दुओं के संबंध में उन्हें जानकारी प्राप्त नही हुई है । इस संबंध में उन्होने संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें को दिनांक 25 फरवरी, 2006 को अपील की थी लेकिन इस अपील पर कोई निर्णय नहीं लिया गया इसलिये उन्होने यह द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत की है ।

2. इस विषय पर सचिव, इंडियन रेडकास सोसायटी, शाखा छतरपुर एवं अपीलकर्ता को सागर में दिनांक 15 सितम्बर, 2006 को सुना गया । सचिव इंडियन रेडकास सोसायटी, शाखा छतरपुर का यह कहना है कि रेडकास सोसायटी को राज्य शासन से कोई अनुदान प्राप्त नही होता है यह एक स्वतंत्र संस्था है जो लोक प्राधिकारी की परिभाषा में नही आती है । उन्होने यह कहा कि अपीलकर्ता इंडियन रेडकास सोसायटी, शाखा छतरपुर के संरक्षक है तथा उनके पद की गरिमा को देखते हुये उन्हें कुछ जानकारी प्रदान कर दी है, लेकिन यह जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नही दी गई है और उन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने का कोई अधिकार नही है ।

3. मैने इंडियन रेडक्रास सोसायटी, शाखा छतरपुर की ओर से जो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं, उन पर विचार किया मैं इन तर्को से सहमत नही है । सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वह सभी संस्थायें लोक प्राधिकारी की परिभाषा में आती हैं जो राज्य के विधान मंडल अथवा संसद के व्दारा पारित किये गये किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित की गई हों । इंडियन रेडक्रास सोसायटी, शाखा, छतरपुर भारतीय संसद के व्दारा पारित इंडियन रेडक्रास सोसायटी, एक्ट 1920 जिसमें समय–समय पर संशोधन किये गये हैं, के अन्तर्गत स्थापित की गई है इसलिये इंडियन रेडक्रास सोसायटी, शाखा छतरपुर भी इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आती है और यह लोक प्राधिकारी है । सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव के जिस पत्र का सन्दर्भ सचिव इंडियन रेडक्रास सोसायटी, शाखा छतरपुर ने दिया है उसमें यह कहीं भी उल्लेख नही है कि इंडियन रेडक्रास सोसायटी को अधिनियम के प्रावधानों से मुक्त रखा गया है । वैसे भी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य शासन को किसी भी लोक प्राधिकारी को मुक्त करने का अधिकार नही दिया गया है ।

4. अतः यह अपील स्वीकार की जाती है और यह निर्देश दिये जाते हैं कि सचिव इंडियन रेडक्रास सोसायटी, शाखा छतरपुर जिन बिन्दुओं पर अपीलकर्ता ने सूचना म्रांगी है, वह 15 दिनों के अन्दर प्रदान करके प्रतिवेदन राज्य सूचना आयोग को प्रस्तुत करें ।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त

19 सितंबर, 2006